न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/240/2013

उनवान

1. माना पिता देवा कुमावत निवासी नया जाडाना, तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. सूरजमल पिता देवा कुमावत निवासी नया जाडाना, तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. मोहन पिता सूरजमल कुमावत निवासी नया जाडाना, तहसील करेडा जिला भीलवाडा
4. गोपाल पिता सूरजमल कुमावत निवासी नया जाडाना, तहसील करेडा जिला भीलवाडा
5. मोती पिता माना कुमावत निवासी नया जाडाना, तहसील करेडा जिला भीलवाडा
6. हीरा लाल पिता माना कुमावत निवासी नया जाडाना, तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

के प्रकरण संख्या कमांक/राजस्व/850/13 दिनांक 10.7.2013

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अभिभाषक : 1. श्री बी एल बाफना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 8.2.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम करेडा की आराजी नम्बर 6736 रकबा 8.00 बीघा किस्म बिलानाम राजकीय/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) सेट ए पार्ट आरक्षित की। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीगण काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जेधारियों को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया । इसलिए अपीलाधीन आदेश पारित किया जिससे अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी । पटवारी हल्का करेडा के माध्यम से दिनांक 1.9.2013 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिस पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है । अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मियाद अधिनियम स्वीकर कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत कृषि भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) सेट अपार्ट/आरक्षित करने का अधिकार केवल जिला कलक्टर महोदय को होता है। किन्तु इस मामले में उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) सेट अपार्ट/आरक्षित करने कर आदेश पारित किया है जो क्षेत्राधिकार से परे होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 6736 ग्राम करेडा की आबादी से करीब 4 किलोमीटर दूर होकर करेडा व जडाना की सीमा पर स्थित है जिसके बारे में दोनों गांवों में तनाजा होकर इस भूमि के बारे में काफी समय से सीमा संबंधी विवाद है । ऐसी विवादित भूमि को राजकीय भवनों होतु आरक्षित करना विधिविरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम करेडा में आराजी नम्बर 529 रकबा 1727.12 बीघा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं आराजी नम्बर 258 रकबा 645.08 बीघा भूमि बिलानाम काबिल काश्त पडी है। इसके अलावा ग्राम करेडा में ही आराजी नम्बर 10 रकबा 34.08 बीघा , आराजी नम्बर 4 रकबा 21.19 बीघा, आराजी नम्बर 8 रकबा 76.01 बीघा, आराजी नम्बर 2 रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7.12 बीघा कुल 140 बीघा भूमि पहले से ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सरकारी कार्यालयों हेतु आरक्षित की हुई है। जो करेडा की आबादी के पास ही है किन्तु उसमें भी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी भी सरकारी विभाग के भवन आदि का निर्माण नहीं हो पाया है। जबकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 6736 रकबा 8 बीघा भूमि ग्राम करेडा की आबादी से 4 किलोमीटर दूर होकर काबिल काश्त है और इस पर कई वर्षो से अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाने में अपीलार्थीगण ने करीब चार लाख रूपये खर्च किये हैं। अपीलार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है । अपीलार्थीगण के परिवार का भरण–पोषण वादग्रस्त आराजियात पर काश्त पर ही आधारित है। ऐसी उपजाऊ भूमि को राजकीय प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा था इसका अंकन पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक था। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज थी। तहसीलदार, की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) सेट अपार्ट/आरक्षित करने कर आदेश पारित किया है वह अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 6736 रकबा 8 बीघा भूमि ग्राम करेडा की आबादी से 4 किलोमीटर दूर होकर काबिल काश्त है और इस पर कई वर्षो से अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाने में अपीलार्थीगण ने करीब चार लाख रूपये खर्च किये हैं।

11. तहसीलदार, करेडा द्वारा दिनांक 1.7.2013 को ग्राम पंचायत करेडा के प्रस्ताव के साथ, पटवारी हल्का / भू अभिलेख निरीक्षक करेडा की मौका रिपोर्ट, चैक लिस्ट, सरपंच ग्राम पंचायत करेडा का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) सेट अपार्ट/आरक्षित करने हेतु अनुशंषा की गई। जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया है। जहॉ तक अपीलार्थीगण का कथन कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम भूमि दर्ज रेकार्ड है एवं ऐसी अतिक्रमिक भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (राजकीय भवनों हेतु) सेट अपार्ट/आरक्षित करने पर कोई रोक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.7.2013 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

8/2/19

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा